द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन

कार्यालय महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय गणराज्य

और

संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय,. यू.एस वाणिज्य विभाग

भारतीय गणराज्य का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), एक पक्ष एवं दूसरा पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय,. यू.एस वाणिज्य विभाग

यहाँ इसके बाद पक्षकार कहा जाएगा,

समझौते:

- 2 मार्च, 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के भारत आगमन के अवसर पर भारत सरकार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साझा बयान में घोषणा किया गया है कि दोनों देश, नवाचार को बढ़ावा देने हेतु परस्पर साहयोग के साथ मिलकर काम करेंगे, साथ–साथ, एक उन्नत तथा जीवंत बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का निर्माण करते हुए रचनात्मकता एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के साथ-साथ उचित मानव संसाधन विकास को भी ध्यान में रखते हुए
- सार्वजनिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने में परस्पर सहयोग के साथ कार्य करेंगे।

दोनों राष्ट्र निम्नलिखित समझौता पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में दोनों देशों के संस्थाओं को उनके दायित्वों के अनुरूप आपसी सहयोग द्वारा कार्य करना है ।

अनुच्छेद 2
सहयोग के क्षेत्र

दोनों राष्ट्र (पार्टीज़) बौद्धिक संपदा कार्यालय को मजबूत करने एवं सहयोग देने हेतु परस्पर सहमत हैं, जिससे दोनों राष्ट्र (पार्टीज़); भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग जगत एवं नागरिक भी लाभान्वित होंगें।

दोनों देश आपसी विश्वास, सम्मान, एवं सामान्य मूल्यों के आधार पर मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ जन-जागरूकता द्वारा बौद्धिक संपदा (आईपी) क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर आपसी संबंध को मजबूत करने के दिशा में कार्य करने हेतु सहमत हैं।

अनुच्छेद 3
क्षमता सृजन

बौद्धिक संपदा (आईपी) क्षेत्र में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से दोनों राष्ट्र (पार्टीज़) मिलकर काम करेंगे। बौद्धिक संपदा कार्यालयों के स्वचालन, आधुनिकीकरण, एवं डेटाबेस के विकास में दोनों देश परस्पर सहयोग करते हुए प्रक्रियात्मक युक्तिकरण और बौद्धिक संपदा आवेदन में सरलीकरण, द्वारा परस्पर पटेंट डेटा एवं पेटेंट परीक्षा प्रक्रियाओं के सर्वोत्तम विधियों को भी एक दूसरे के साथ साझा कर लाभान्वित करेंगें।

अनुच्छेद 4

मानव संसाधन विकास

बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणाली के कामकाज को मजबूत करने के दृष्टि से बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्रों में कार्यरत मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करने हेतु दोनों राष्ट्रों (पार्टीज़) के बौद्धिक संपदा (आईपी) कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ पेटेंट परीक्षक के प्रशिक्षण में भी परस्पर सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 5

जन जागरूकता कार्यक्रम

जन जागरूकता कार्यक्रम एवं संवेदीकरण कार्यक्रम द्वारा दोनों राष्ट्र (पार्टीज़) मिलकर 'बौद्धिक संपदा अधिकार' के क्षेत्र में कार्य करेंगे। इसमें संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित की जाएँगी, हितधारकों के लिए विशेष संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएँगी, इस प्रकार के कार्यकर्मों से आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, पेशेवरों, तथा आम जनता को अत्यधिक लाभ होगा और एक संवेदनशील बौद्धिक संपदा समाज बनाने में भी सहायता मिलेगी ।

छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को संवेदीकरण कार्यक्रमों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6

वार्षिक कार्य योजना

दोनों देश सहमति के साथ संयुक्त रूप से एक वार्षिक कार्य योजना तैयार कर प्रत्येक वर्ष की जाने वाली विशिष्ट साझा गतिविधियों को निर्धारित करेंगे।

वार्षिक कार्य योजना में , अन्य बातों के साथ, निम्न कार्यसूची भी सम्मिलित होगी:

क. बौद्धिक संपदा कार्यालय के अधिकारी,आईपी नीति निर्माता, आईपी पेशेवर एवं आईपी प्रबंधक के कुशल प्रशिक्षण हेतु दोनों राष्ट्र (पार्टीज़) अमेरिका एवं भारत प्रशिक्षण संबन्धित अनुभवों को परस्पर एक दूसरे के साथ साझा करेंगे।

ख. इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उपयुक्त विकसित मॉड्यूल एवं पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे।

ग. दोनों देशों के आईपी संस्थानों के बीच नियमित अकादमिक आदान -प्रदान हेतु सतत संस्थागत सहयोग कर संस्थानों को विकसित करने का कार्य करेंगे।

घ. दोनों देश आईपी सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान करने के साथ-साथ आईपी स्वचालन , आईपी डेटाबेस, पेटेंट परीक्षा प्रक्रियाओं, ट्रेडमार्क, डिजाइन एवं भौगोलिक संकेत, आदि विषयों में प्रयोग होने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां को भी परस्पर देशों के साथ साझा करेंगे।

ङ. आईपी के विषय में छात्रों, उद्योगपतियों और नागरिक समाज के बीच जागरूकता फैलाने हेतु सर्वोत्तम प्रणाली का देशों के साथ परस्पर आदान-प्रदान करना ।

च. संस्थागत तंत्र के विषय में परस्पर जानकारी का आदान-प्रदान करना ताकि उचित धारकों(Holder) एवं उपभोक्ता के बीच संभावित चिंताओं को दूर किया जा सके ।

छ. विशिष्ट आईपी मुद्दों पर संयुक्त गतिविधियां

ज. पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के क्षेत्र में अपने अपने अनुभवों का साझा करना ।

प्रत्येक वार्षिक कार्य योजना में विस्तृत योजना शामिल होगी जिसमें कार्रवाई के दायरे, प्रशासन और संसाधनों के सुपुर्द किए गए कार्य, कुल लागत और उनके वितरण, समय सारिणी और आवश्यक समझी जाने अन्य जानकारियाँ एवं गतिविधियों सम्मिलित होंगी।

प्रत्येक वार्षिक कार्य योजना में समझौता ज्ञापन में विनिर्दिष्ट सभी क्षेत्रों की सहयोग गतिविधियों का समावेश आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 7

निगरानी तंत्र

वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए एक संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) की स्थापना की जाएगी जो दोनों राष्ट्रों (पार्टीज़) के हित को ध्यान में हुए किसी भी बिदु पर विचारों के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु कार्य करेंगे।

वार्षिक अनुमोदन के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बैठक कर आगामी कार्य योजना, एवं सहयोग गतिविधियों की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु उचित दिशा में कार्य करेगा। जो राष्ट्रों (पार्टीज़) के औपचारिक लिखित अनुरोध पर समझौते के अनुरूप परस्पर कार्यवाही कर आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे।

अनुच्छेद 8

निधिकरण(अनुदान)

प्रत्येक गतिविधि का कार्यान्वयन संबंधित देशों के वार्षिक बजट में आवश्यक धन की उपलब्धता के अनुसार ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

लागू होने की स्थिति

ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तिथि से यह समझौता लागू माना जाएगा।

अनुच्छेद 10

समापन

यह समझौता ज्ञापन के दो वर्ष के अवधि के लिए मान्य है, जो दोनों देशों के आपसी समझौते के अधीन, नवीनीकृत होने के उद्देश्य से संपन्न हुआ है।

कोई भी देश दूसरे देश को कम से कम 90 कैलेंडर दिनों तक के पहले लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

इस समझौता ज्ञापन के शीघ्र समाप्त होने से किसी भी तय वार्षिक कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6 दिसंबर 2006 को नई दिल्ली में अंग्रेजी में मूल दो प्रतियों में हस्ताक्षरित

कार्यालय महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
के लिए

डॉ. अजय दुआ
सचिव, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट ट्रेडमार्क कार्यालय
और, यू.एस. वाणिज्य विभाग
के लिए

जॉन डब्ल्यू डुडास
अवर सचिव वाणिज्य एवं बौद्धिक संपदा
पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के निदेशक